



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

टॉप-10 अपराधी अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार

दिनांक 27.07.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधी बलवंत पुत्र बंशीलाल नि० करौत थाना थानगांव जनपद सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु०अ०सं० 238/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त थाना थानगांव का टॉप 10 अपराधी भी है जिसके विरुद्ध पूर्व में चोरी/नकबजनी/अवैध शराब/मादक द्रव्य पदार्थ आदि अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

- अभियुक्त का नाम/पता:- बलवंत पुत्र बंशीलाल नि० करौत थाना थानगांव जनपद सीतापुर
- बरामदगी :- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 238/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना थानगांव सीतापुर
- पुलिस टीम :-
 1. व०उ०नि० श्री अरविंद कुमार पांडेय
 2. का० अंबुज तिवारी
 3. का० सतीश कुमार

● आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 402/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना थानगांव जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 194/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना थानगांव जनपद सीतापु
3. मु0अ0सं0 173/18 धारा 457/380 भादवि थाना थानगांव जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 102/17 धारा 457/380 भादवि थाना थानगांव जनपद सीतापुर

